(b) if so, the details thereof and when the multi-channel system is likely to be introduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI N. K. P. SALVE): (a) and (b). In view of the limited availability of resources the first priority is to extend Television service to areas not yet covered. The question of opening more channels in the areas where Television coverage is available at present will depend upon the availability of resources.

लारेंस रोड क्षेत्र में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अंतरिम (प्रोविजनल) बिलों के आधार पर प्रभार का वसूल किया जाना

3383. **श्री हीरालाल आर. परमार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का लारेंस रोड डिस्ट्रिक्ट कार्यालय निगम के उस उपभोक्ताओं से न्यूनतम सीधे दर पर प्रभार वसूल लेने के बजाय अन्तिम बिजली बिलों के आधार पर बिजली प्रभार वसूल कर रहा है जिसको औद्योगिक विद्युत कनेक्शन आबंटित किये गये हैं और बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को धमकी दी जा रही है कि यदि इन बिलों के आधार पर उन्होंने प्रभार जमा नहीं कराया तो उनके विद्युत कनेक्शन काट दिये जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) जी, नहीं । डेसू अपने उपभोक्ताओं से नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार प्रभाव ले रहा है।

उपभोक्ताओं के भार को कम करने की दृष्टि से, उन मामलों में जहां मीटर खराब हों या जहां पर किसी एक या अन्य कारण से रीडिंग न ली जा सकी हो, समय-समय पर अन्तिम बिल दिए जाते हैं । उन मामलों में नहीं लाई गई है, टैरिफ नियमों के सम्बन्धित अवधि के दौरान सप्लाई उपयोग में नहीं लाई गई है, टैरिफ नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को न्यूनतम खपत के प्रभार के बिल भी भेजे जाते हैं। देय रकम के भुगतान न किए जाने पर उपयुक्त नोटिस के बाद सप्लाई काट दी जाती है और बकाया प्रभारों के भुगतान के पश्चात् तथा पुन: कनेक्शन देने की फीस प्राप्त होने के पश्चात् सप्लाई पुन: चालू कर दी जाती है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Cease and Desist order of M.R.T.P. Commission on Hindustan Lever Limited

3384. SHRI VIJAY KUMAR YADAV: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 3134 on 9th December, 1980 regarding Cease and Desist Order of M.R.T.P. Commission on Hindustan Lever Limited and state:

(a) whether the affidavit of complaince dated 5th October, 1977 and a supplementary affidavit dated 5th December, 1977 has been honoured in practice;

(b) whether Hindustan Lever Limited continues to supply its products directly and exclusively to its distributors called 'Redistribution Stockists";

(c) whether resale price maintenance Area Distribution full line forcing and procurement of interests free deposits continue unabated under the cover of security against advance sales;

(d) whether the order of MRTP Commission dated 17th March, 1976 remains without any real effect;

(e) whether Commission has expressed its difficulty in collecting information from the nation-wide net-work of the distributors of the company on grounds of inadequate staff;

(f) whether an inquiry was assured to Shri S. M. Banerjee, Ex-M.P. by the MRTP Commission of the complaints; and

(g) if so, the action taken by Government thereon?